न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह

अध्यक्ष

अपील प्रकरण क्रमांक 1250–अध्यक्ष/09 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–6–2008
पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस, खंडवा म0 प्र0 प्र0क्र0 02/बी–103/07–08

श्रीमती मुन्नीबाई पति श्री घनश्यामदास अग्रवाल
निवासी ग्राम खारकला तहसील हरसुद जिला खण्डवा

.....अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस
खण्डवा

.....प्रत्यर्थी

श्री ए0 के0 चटर्जी, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री हेमन्त मुंगी, अभिभाषक, प्रत्यर्थी

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 28 अगस्त, 2014)

अपीलार्थी द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है, परन्तु त्रुटिवश अपील में दर्ज हो गई है । इसके अतिरिक्त धारा 56 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है । अतः आवेदिका द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस, खण्डवा द्वारा पारित आदेश 12–6–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत किया जाना मान्य किया जाता है । इसलिये आगे अपीलार्थी को आवेदिका एवं प्रत्यर्थी को अनावेदक कहा जायेगा ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश, खण्डवा द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को इस आशय का पत्र भेजा गया कि आवेदिका द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित सौदा चिटठी को परिबद्ध करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे उनके द्वारा स्वीकार किया गया है, अतः आवेदन पत्र के साथ संलग्न सौदा चिटठी नियमानुसार परिबद्ध कर 2 माह में उनके न्यायालय को वापस की जाये । उक्त पत्र के आधार पर कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/बी–103/07–08 दर्ज किया जाकर दिनांक 12–6–2008 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन सौदा चिटठी पर 12,000/– रूपये मुद्रांक शुल्क अधिरोपित किया गया । साथ ही कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 11950/–के दो गुना 23,900/– रूपये शास्ति अधिरोपित की जाकर कुल राशि रूपये 35,850/– एक माह में जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका के पक्ष में निष्पादित विक्रय अनुबंध पत्र (सौदा चिटठी) में आवेदिका को प्रश्नाधीन संपत्ति का कब्जा दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है और वास्तव में भी उक्त संपत्ति का कब्जा आवेदिका को नहीं दिया गया है, अतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा कब्जा सहित अनुबंध पत्र मानकर मुद्रांक शुल्क निर्धारित करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि व्यवहार वाद प्रचलित रहने के दौरान विक्रेता द्वारा प्रश्नाधीन संपत्ति को अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिये जाने के कारण आवेदिका एवं विक्रेता के मध्य समझौता हो गया था और समझौता पत्र तथा व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत कथनों से प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आवेदिका को प्राप्त नहीं होने के तथ्य की पुष्टि होती है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब व्यवहार न्यायालय में समझौते के अनुसार आवेदिका द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को क्रय नहीं किया गया है, तब विक्रय अनुबंध पत्र पर मुद्रांक शुल्क अधिरोपित करना न्यायोचित कार्यवाही नहीं है । यह भी कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिका का कब्जा होना नहीं पाया गया है एवं मुद्रांक शुल्क वापसी की कार्यवाही करने का उपचार उपलब्ध कराया है । ऐसी स्थिति में आवेदिका से मुद्रांक

शुल्क वसूल नहीं किया जा सकता है । उनके द्वारा वसूली की कार्यवाही समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका द्वारा प्रश्नाधीन संपत्ति क्रय किये जाने का अनुबंध रूपये 1,60,000/–में निष्पादित कर कुल 50 रूपये मुद्रांक शुल्क अदा किया गया है, जबकि 12,000/– रूपये मुद्रांक शुल्क देय था । क्योंकि उक्त अनुबंध पत्र के माध्यम से प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आवेदिका को दिया गया है । यह भी कहा गया कि चूँकि आवेदिका द्वारा मुद्रांक शुल्क का अपवंचन किया गया है, अतः दो गुना शास्ति अधिरोपित करने में भी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । उनके द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण में संलग्न विक्रय अनुबंध पत्र (सौदा चिटठी बेचानामा) संलग्न है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आवेदिका को नहीं दिया गया है । व्यवहार न्यायालय में भी विक्रेता एवं आवेदिका के मध्य समझौता हुआ है और व्यवहार न्यायालय द्वारा उनके कथन अंकित किये गये है, जिनमें भी प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आवेदिका को नहीं दिये जाने के तथ्य की पुष्टि हुई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आवेदिका को नहीं दिये जाना पाते हुये मुद्रांक शुल्क वापसी का उपचार उपलब्ध कराया है । अतः यह स्पष्ट तौर से प्रमाणित है कि प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा विक्रय अनुबंध पत्र के माध्यम से आवेदिका को नहीं दिया गया है । ऐसी स्थिति में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रश्नाधीन विक्रय अनुबंध पत्र पर अधिनियम की अनुसूची –1 क के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत 7½ प्रतिशत की दर से रूपये 12,000/– मुद्रांक शुल्क अधिरोपित करने में विधि की गंभीर भूल की गई है, क्योंकि उक्त अनुच्छेद के अंतर्गत कब्जा सहित विक्रय अनुबंध पत्र पर मुद्रांक शुल्क 7½ प्रतिशत की दर से देय है और कब्जा रहित अनुबंध पत्र पर 1 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क देय है । अतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश इसी आधार पर विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । इसके अतिरिक्त स्वंय आवेदिका द्वारा व्यवहार न्यायालय में प्रश्नाधीन विक्रय अनुबंध पत्र (सौदा चिटठी) को परिबद्ध किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है,

अतः पर्याप्त मुद्रांक शुल्क अदा नहीं करने में उसकी दोषी मंशा परिलक्षित नहीं होती है । इसलिये कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा दो गुना शास्ति अधिरोपित करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । इस प्रकरण में विशेष रूप से विचारणीय बिन्दु यह है कि आवेदिका द्वारा व्यवहार न्यायालय में समझौता कर प्रश्नाधीन भूमि को क्रय नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में उक्त विक्रय अनुबंध पत्र के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं रह जाती है । इस दृष्टि से भी आवेदिका से मुद्रांक शुल्क वसूल करना अन्यायपूर्ण कार्यवाही है । दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प खण्डवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–6–2008 अवैधानिक होने से निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर